सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 196 राँची, गुरुवार, 26 चैत्र, 1948 (श०) / 16 अप्रैल, 2026 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

23 मार्च, 2026

सं.सं.- 01/स्था.(कोर्टकेस)04-15/2021-1411--

विषयः- श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में ।

श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग,राँची द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर याचिका WP (S) No.-4474/ 2021 में दिनांक 24-09-2024 को निम्न न्याय निर्णय पारित किया गया:-

7. It has been submitted by learned counsel for the parties that the said order has been affirmed up till the Hon'ble Apex Court. Accordingly, the instant writ application is disposed of by directing the respondent no.2 to look into the matter and pass an appropriate order for payment of difference of salary for the period 19.07.2007 till 04.07.2010 to the petitioner while he was working as Superintending Engineer on in-charge basis and also for the period from 05.07.2010 till his retirement i.e. on 31.01.2018; while he was posted as Chief Engineer on in-charge basis and make payment thereof.

The entire exercise shall be completed within a period of 16 weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

8. As a result, the instant writ application stands disposed of in the manner indicate hereinabove.

2. उल्लेखनीय है कि विषयक वाद WP(s) No. 4474/ 2021 में WP(s)No.-6618 /2013 चन्दा हेम्ब्रम बनाम झारखण्ड एवं अन्य को संज्ञान में लेते हुए श्री रजक को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् उच्चतर पद पर कार्यरत अवधि के वेतन की अन्तर राशि की गणना करते हुए उक्त राशि का भुगतान करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिया गया है ।

3. विदित हो कि WP (S) No.-4474/ 2021 चन्दा हेम्ब्रम बनाम झारखण्ड एवं अन्य में दिनांक 03.09.2024 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त श्री चन्दा हेम्ब्रम, अधीक्षण अभियंता को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् उच्चतर पद पर कार्यरत अवधि के वेतन की अन्तर राशि का भुगतान कर दिया गया है।

4. उपरोक्त वर्णित स्थिति में WP (S) No.-4474/2021 किशोरी रजक बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.09.2024 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन विभाग हेतु बाध्यकारी है।

5. उक्त पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No.-543/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम किशोरी रजक दायर किया गया । उक्त LPA माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

6. श्री रजक अपने ही वेतन मान में दिनांक 19.07.2007 से 04.07.2010 तक अधीक्षण अभियंता एवं दिनांक 05.07.2010 से 31.01.2018 तक मुख्य अभियंता के पद पर स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत्कार्यरत रहे हैं । माननीय न्यायालय के उपरोक्त न्याय निणर्य के आलोक में वर्णित अवधि में उनके द्वारा धारित उच्चतर पद के वेतन के अन्तर राशि का भुगतान उन्हें किया जाना है।

7. उच्चतर पद पर स्वतंत्र चालू प्रभार में कार्य करने के एवज में किसी अतिरिक्त वेतन/ भत्ता के भुगतान के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है । सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्तीय नियमावली के नियम-74 के आलोक में पद ग्रहण की तिथि से संबंधित Substantive पद का वेतन एवं भत्ता पदाधारक को देय होता है।

8.यह मामला स्थापित वित्तीय नियमों के संगत नहीं है । साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार अन्तर्गत कोई विशिष्ट नियम प्रवृत नहीं है।

9. अतएव, उपरोक्त वर्णित स्थिति में WP(S) No.-4474/2021 में दिनांक 24.09.2024 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु महालेखाकार, झारखण्ड से वेतन पर्ची निर्गत होने के उपरान्त श्री किशोरी रजक को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन के अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि विषयगत मामले में दायर LPA No.-543/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम किशोरी रजक में पारित अंतिम न्याय निर्णय से यह अनुपालन आच्छादित होगा।

10. प्रस्ताव पर मद संख्या- 34 दिनांक 12.03.2026 द्वारा मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड सरकार से अनुमोदन प्रदत्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 196 - 50